"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

आदेश

क्रमांक 471(पीएस)/600/21-ब/छ. ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने, विभिन्न विधियों में व्याप्त अस्पष्टता का निराकरण करने, उपलब्ध विधियों की उपयोगिता के आधार पर आवश्यकता की समीक्षा करने, उनमें संशोधन करने, नई विधियों का सृजन करने एवं आवश्यकता अनुरूप विधि निर्माण के संबंध में सरकार को उचित परामर्श देने के लिए "एकल सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग" का गठन करता है.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है.

आयोग के अध्यक्ष की विस्तृत सेवा शर्तें पृथक से प्रसारित की जावेंगी.

आयोग के कार्यालय व्यय, अधिकारी/कर्मचारी एवं अनुसंधान हेतु आवश्यक अमले बाबत आदेश पृथक से वित्त विभाग के परामर्श से प्रसारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.